चुनावी साल में गरमा सकता है गन्ने के बकाये का मुद्दा

[ईटी ब्यूरो | नई दिल्ली & पुणे]

आगामी लोकसभा चुनाव में गन्ना बकाया का मुद्दा एक बार फिर गरमा सकता है। पिछले एक साल में मिलों पर गन्ना किसानों क़ी बकाया रकम 70 पर्सेंट बढ़कर 20,000 करोड़ रुपये हो चुकी है। मार्केट में जरूरत से ज्यादा सप्लाई के बीच गन्ना मिलों को किसानों का भुगतान करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का बकाया चुकाने के लिए मिलें चीनी का मिनिमम सेल प्राइस बढ़ाने की मांग कर रही हैं। हालांकि सरकार चुनावी साल में दाम बढ़ाने का जोखिम नहीं लेना चाहती है।

सरकार महंगाई को काबू में रखकर कंज्यूमर्स को राहत देने और शुगर सेक्टर में कैश फ्लो बढ़ाकर किसानों की मदद करने के दोहरे लक्ष्य पर काम कर रही है। महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने किसानों का बकाया भुगतान के लिए मिल मालिकों की संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शुगर इंडस्ट्री को आशंका है कि चुनावों के समय तक बकाये की राशि बढ़कर 35,000 करोड़ तक पहुंच सकती है। इससे सबसे ज्यादा बीजेपी शासित राज्यों- यूपी और महाराष्ट्र के किसानों को प्रभावित होने की संभावना है, जो गन्ने के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। देश के कुल गन्ना उत्पादन का 75 पर्सेंट इन्ही दो राज्यों के किसानों का योगदान है। इसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी गन्ने का उत्पादन होता है।

बकाये का भुगतान नहीं होने से किसान बेचैन हैं। किसान जागृति मंच के अध्यक्ष सुधीर पंवार ने कहा, 'गन्ना बकाये के जल्द भुगतान के लिए किसान एक आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। मिल मालिक फंड की कमी का हवाला देकर भुगतान नहीं कर रहे हैं। शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मोदीनगर में काफी विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जो भुगतान न मिलने पर आने वाले दिनों में और तेज हो सकता है।' सरकार की ओर से शुगर के फ्लोर प्राइस में 8 पर्सेंट से ज्यादा बढ़ोतरी की संभावना नहीं है जबकि गन्ना मिलें मौजूदा 29 रुपये प्रति किलो के मिनिमम सेल प्राइस से 25 पर्सेंट बढ़ोतरी की मांग कर रही हैं। गन्ना के सबसे बड़े उत्पादक उत्तर प्रदेश ने केंद्र सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाने का आग्रह किया है। केंद्र सरकार को 7 फरवरी को लिखे लेटर में यूपी ने एमएसपी को बढ़ाकर 32.50 रुपये प्रति किलो करने का सुझाव दिया है।

- **सालभर में** गन्ना बकाया 70% बढ़कर ₹20,000 करोड़ हुआ, चीनी मिलों की मांग के बावजूद सरकार शुगर का मिनिमम सेल प्राइस बढ़ाने के पक्ष में नहीं
- **सरकार की** ओर से शुगर के फ्लोर प्राइस में 8 पर्सेंट से ज्यादा बढ़ोतरी की संभावना नहीं है जबकि गन्ना मिलें मौजूदा 29 रुपये प्रति किलो के मिनिमम सेल प्राइस से 25 पर्सेंट बढ़ोतरी की मांग कर रही हैं

हालांकि जरूरत से ज्यादा सप्लाई के बीच केंद्र सरकार का शुगर डायरेक्टरेट कीमतों को बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। डायरेक्टरेट के अधिकार ने बताया, 'शुगर की कोई कमी नहीं है।

इंडस्ट्री लंबे समय से नकदी के लिए एमएसपी को 5 से 6 रुपये प्रति किलो बढ़ाने की मांग करती रही है। हालांकि अगर हम बकाया के भुगतान के लिए एमएसपी बढ़ाते हैं, तो भी यह 1-2 रुपये प्रति किलो से ज्यादा नहीं होगा।'

जय किसान आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक अवीक साहा इस स्थिति के लिए सरकारी नीतियों को दोषी ठहराते हैं। उन्होंने कहा, 'यह सही है कि इस सरकार को शुगर इंडस्ट्री की ज्यादातर समस्याएं विरासत में मिलीं, लेकिन यह भी तथ्य है कि यह सरकार इन समस्याओं का कोई व्यावहारिक हल ढूंढ पाने में नाकाम रही।' साहा ने कहा, 'सरकार को कोई अंदाजा ही नहीं है कि इन समस्याओं को किस तरह हल करना है और इस प्रक्रिया में वह लगातार इन्हें बढ़ाए जा रही है। सरकार ने शुगर विदेश से मंगाने की मंजूरी दी है, जबकि हमारे पास जरूरत से ज्यादा उत्पादन है।'

बीते साल जून में सरकार ने मिनिमम मिल गेट प्राइस 29 रुपये प्रति किलो तय किया था और कहा था कि अगर फेयर रेमुनेरेटिव प्राइस (एफआरपी) में बढ़ोतरी होती है तो वह इसे दोबारा संशोधित कर सकती है। एफआरपी वह न्यूनतम कीमत होती है, जिसकी गन्ना किसानों को कानूनी तौर पर भुगतान करने की गांरटी दी जाती है। हालांकि उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पंजाब में किसानों को स्टेट-एडवाइज्ड प्राइस (एसएपी) के आधार पर भुगतान किया जाता है।

Economic Times

14/2/19